

टनकपुर-तवाघाट से रौंथी तक मोटर मार्ग निमाण - 20.425 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 9657/2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 20.03.2015। निरीक्षण आख्या संलग्न है।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 24.03.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

निरीक्षण आख्या

दिनांक 20.03.2015 को जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० धारचूला द्वारा प्रस्तावित टनकपुर- तवाघाट मोटर मार्ग से राँधी प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया। मार्ग की कुल ल० 20.425 किमी० है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग से राँधी तक पूर्व में ही लो०नि०वि० द्वारा मोटर मार्ग निर्मित है, परन्तु इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। पी०एम०जी०एस०वाई० धारचूला के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस मार्ग से राँधी गांव के अन्तर्गत पडने वाले कुल 8 ग्रामों (तोक), लुरकोट, कुरखेती, बोरगांव, दायर, पौसेरी आदि जुड़े हुए न होने के कारण पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप इन ग्रामों (तोक) को जोड़ने की बाध्यता के कारण यह मार्ग स्वतंत्र रूप से अतिरिक्त प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुरूप जो रेखाकन प्रस्तावित किया गया है उसमें मार्ग निर्माण कार्य लुरकोट से प्रारम्भ कर विभिन्न तोकों से होते हुए राँधी तक निर्मित किया जाना है।

प्रस्तावित रेखाकन में बाज के कुल 1190 वृक्ष प्रभावित होना सूचित किया गया है, जिसमें 692 वृक्ष पंचायती वन में व शेष 498 वृक्ष नाप भूमि में चिन्हित किये गये हैं। पंचायती वन में स्थित वृक्ष मुख्य रूप से किमी० संख्या 6 से 20 के मध्य स्थित है। निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित रेखाकन के अनुरूप मार्ग निर्माण हेतु इन वृक्षों का पातन अपरिहार्य है।


(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎(05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2156 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 24.03.2015.

प्रतिलिपि - निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुर्नगणना कर संशोधित स्थिति/प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०, धारचूला।


(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।